— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-30.06.2021

शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर द्वारा अवैध समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई ₹ 01 करोड़ 65 लाख की अवैध सम्पत्ति गैंगेस्टर अधि0 की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गई कुर्क—

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2021 को थाना को0देहात पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पुत्र रामनारायण निवासी किशुन प्रसाद की गली बसनही बाजार थाना को0शहर मीरजापुर के विरूद्ध थाना प्रभारी पड़री के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी की अवैध गतिविधियों से अर्जित ₹ 01 करोड़ 65 लाख (अनुमानित कीमत) का मकान स्थित मोहल्ला किशुन प्रसाद की गली को अपर पुलिस अधीक्षक नगर, उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक पड़री, प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात व प्रभारी निरीक्षक को0शहर आदि पुलिस बल की मौजूदगी में मोहल्ला में मुनादी के उपरान्त अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम कुर्क की गई।

सूचना
मु0अ0सं0 218/2020 धारा 3(1) उ.प्र.
देहात मीरजापुर से सम्बन्धित
पुत्र राम नारायण नि0 किशुन
बाजार थाना को0 शहर जनपद
धन से क्रय शुदा मकान
की गली थाना को0 शहर
महोदय मीरजापुर
670/2021 अन्तर्गत धारा 14 (1)
19.06.2021 के अनुपालन में